



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9622

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 250 सन् 2026

उप निरीक्षक महेश सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

मोहम्मद उमर खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.यू. खान ने दिनांक 09.09.2025 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 25.09.2025 को दिए गए अपने उत्तर पर विचार करने का अनुरोध किया है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रत्यर्थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, जिला सहारनपुर द्वारा किया जाएगा।
3. अदालत में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह **22.01.2026** तक द्वितीय प्रत्यर्थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, जिला सहारनपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश



की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

14 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.